

11/11/22

पत्रावली परा डी वकील एवं प्रवकी
सं. 4 के वकील अनुण वकील एवं प्रवकी
सं. 4 के वकील को न्यायालय सभ्य के कठ
का लीन का आवाज लगाई लेकिन कोई उध
नहीं आया, अतः वकील का वाद तथा
प्रवकी सं. 4 का वाद नलेन अदालत की
अदालत हाजरी के खारिज किया जाता है। पत्रावली
प्रशाल सुभार देना पत्रिल 444 है। लप्या
वद है।

सहायक कलक्टर
SDO चौहटन

